...को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5-11-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्रतिवादीगण ने आज से 2 ता 12 के रजिस्टर्ड मेल के तामील को आज से अधिक का समय हो गया है इनकी तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 21-11-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

21-11-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वकील वादी द्वारा शपथ-पत्र साक्ष्य-वादी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 12-12-19 को पेश हो।

12/12/19 - पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 24/12/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

24-12-19 पत्रावली पेश हुई वकील वादी आदेश पत्रावली में वादी पक्ष डिक्री जारी हो गयी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रिकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 47 / दावा / 2019 तारीख दायरा 15.06.2019

उनवान

1. राहत अली पिता रहमान अली जाति मुसलमान निवासी मनोहरथाना
2. शाहिद अली पिता रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना
3. शमीम बानो पुत्री रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना
4. खुर्शीदा बानो पुत्री रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना
5. कमर जहां बनो पुत्री रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना
6. आईसा बानो पुत्री रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना

—वादीगण

बनाम

1. मासुख अली उर्फ मुस्ताक पुत्र मेहराव अली मुसमान निवासी जामा मस्जिद के पिछे मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना
2. शादिक अली पिता मेहराब अली जाति मुसलमान निवासी डी.आई.जी. बगले के पास चांदनी गार्डन के पिछले गेट मस्जिद के पास शराफत मंजिल उपरी स्टोर भोपाल मध्य प्रदेश
3. सलमाबाई पुत्री मेहराब अली जाति मुसमान पत्नी शराफ भाई जाति मुसलमान निवासी डकनिया गोविन्द नगर मुल्लाजी की गली कोटा जिला कोटा
4. इसराईल भाई पुत्र मरियम बाई जाति मुसलमान निवासी बैरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
5. याकुब भाई पुत्र मरियम बाई जाति मुसलमान निवासी बेरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
6. सलीम भाई पुत्र मरियम बाई जाति मुसलमान निवासी बैरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
7. इलयास भाई माता मरियम जाति मुसलमान निवासी बैरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
8. अफसर भाई माता मरियम बाई जाति मुसलमान निवासी बैरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
9. हफीज भाई माता कनीजाबाई जाति मुसलमान निवासी नगर पालिका आफिस के पास व मस्जिद के पास ब्यावरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश
10. आरिफ भाई माता कनीजा बाई जाति मुसलमान निवासी नगर पालिका आफिस के पास व मस्जिद के पास ब्यावरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश
11. राजू भाई माता कनीजा बाई जाति मुसलमान निवासी नगर पालिका आफिस के पास व मस्जिद के पास ब्यावरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश

खण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

P.T.O

Scanned by CamScanner

12. रईस भाई माता कनीजा बाई जाति मुसलमान निवासी नगर पालिका आफिस के पास व मस्जिद के पास ब्यावरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 88,89,91 राज.आर.टी.एक्ट व 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री केसरी सिंह पुष्पद अधिवक्ता वादी
एक पक्षीय (प्रतिवादी पक्ष)

निर्णय दिनांक 24-12-19

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने इस आशाय का वाद जर्ये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया है कि —

1. ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 271 व पुरानी 284 की खसरा संख्या 423 की 2.11 बीघा, 426 की 0.05 बीघा, 427 की 1.05 बीघा, 428 की 1.09 बीघा, 433 की 5.11 बीघा कुल 5 किता की 11.01 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता रहमान अली व मेहराअ अली पिता उमराव अली जाति मुसलमाल निवासी मनोहरथाना के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 पेश है।
2. यह है कि मरियम पुत्री उमराव अली अर्सा 10 साल पूर्व फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 है। जो एक मात्र जायज वारिसान एवं कायम मुकामाम है, जो वाद में पक्षकार बनाये गये है।
3. यह है कि कनीजा बाई पुत्री उमराव अली अर्सा 8 साल पहले फौत हो चुकी है जिसके वारिसान 9 लगायत 12 है जो जायज वारिसान कायम मुकामाम है, जो वाद में पक्षकार बनाये गये है।
4. वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 433 की 5.11 बीघा भूमि मेहराब अली (मृतक) अपने जीवन काल में ही अपना 1/2 हिस्सा का बेचान दिनांक 30.03.1972 को प्रभू पिता गणेश जाति चमार निवासी मनोहरथाना को 800/— रूपये में बेचान कर कब्जा संम्भला दिया था। उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर इन्तकाल संख्या 347 ग्राम पंचायत मनोहरथाना द्वारा प्रभूलाल पिता गणेश जाति चमार मनोहरथाना के खाते दर्ज हो चुकी है। नकल इन्तकाल व नकल जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 पेश है।
5. यह है कि खातेदार प्रभू पिता गणेश चमार का खाता अलग से दर्ज हो चुका है। उक्त खातेदार के खिलाफ वादीगण कोई रिलीफ नहीं चाहते है इसलिए वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है।
6. यह है कि उक्त आराजी की नई जमाबन्दी बनाते समय वादीगण की 5.10 बीघा आराजी वादीगण के खाते में दर्ज हो चुकी है। जिसके नामान्तकरण पंजिका तहसील अकलेरा पेश है। लेकिन प्रतिवादीगण का अपा 1/2 हिस्सा न होते हुए भी सहवन से पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

P.T.O

Scanned by CamScanner

मनोहरथाना की गलती से वादीगण की 5.10 बीघा आराजी में प्रतिवादीगण का नाम 1/2 में फर से दर्ज हु चुका है, काबिल खारीजी में होने व निरस्त होने योग्य है।

7. उक्त आराजी के खसरा संख्या 423 की 2.11 बीघा, 426 की 0.05 बीघा, 427 की 1.05 बीघा, 428 की 1.09 बीघा कुल 4 किता की 5.10 बीघा आराजी पर वादीगण के पिता का व उसके मरने के बाद वादीगण ही उक्त आराजी को काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा गलती से दर्ज हो चुका है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्से पर वादीगण खातेदार टिनेन्ट घोषित होने योग्य है एवं रेकार्ड दुरूस्त होने योग्य है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 पेश है।

वादीगण नें प्रतिवादीगण सें 5.10 बीघा आराजी में से अपना 1/2 हिस्सा को खाते दर्ज करवाने व रेकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई सुनवाई नहीं की अन्तिम बार दिनांक 01.06.2019 को कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई सुनवाई नहीं करने व उक्त आराजी 5.10 बीघा में से 1/2 हिस्सा कम न करने व रेकार्ड दुरूस्त नहीं करने की कहने पर वाद उत्पन्न हुआ है।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये संम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है। जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया है, साथ अवलोकन करने स्पष्ट होता है कि वाद में अंकित आराजी पर वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उक्त वाद में ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 462 पुरानी 406 की 4 किता की 5.10 बीघा आराजी में से प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्सेपर वादीगण को टिनेन्ट घोषित किया जाता है एवं रेकार्ड में प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 का नाम हटाया जावे तथा उक्त आराजी पर वादीगण का नाम रेवन्यू रेकार्ड में दर्ज किया जावें । तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

फर्द डिग्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 47/दावा/2019 तारीख दायरा 15.06.2019

उनवान

1. राहत अली पिता रहमान अली जाति मुसलमान निवासी मनोहरथाना
2. शाहिद अली पिता रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना
3. शमीम बानो पुत्री रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना
4. खुर्शीदा बानो पुत्री रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना
5. कमर जहां बनो पुत्री रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना
6. आईसा बानो पुत्री रहमान अली जाति मुसलमान निवसी मनोहरथाना

—वादीगण

बनाम

1. मासुख अली उर्फ मुस्ताक पुत्र मेहराव अली मुसमान निवासी जामा मस्जिद के पिछे मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना
2. शादिक अली पिता मेहराब अली जाति मुसलमान निवासी डी.आई.जी. बगले के पास चांदनी गार्डन के पिछले गेट मस्जिद के पास शराफत मंजिल उपरी स्टोर भोपाल मध्य प्रदेश
3. सलमाबाई पुत्री मेहराब अली जाति मुसमान पत्नी शराफ भाई जाति मुसलमान निवासी डकनिया गोविन्द नगर मुल्लाजी की गली कोटा जिला कोटा
4. इसराईल भाई पुत्र मरियम बाई जाति मुसलमान निवासी बैरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
5. याकुब भाई पुत्र मरियम बाई जाति मुसलमान निवासी बेरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
6. सलीम भाई पुत्र मरियम बाई जाति मुसलमान निवासी बैरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
7. इलयास भाई माता मरियम जाति मुसलमान निवासी बैरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
8. अफसर भाई माता मरियम बाई जाति मुसलमान निवासी बैरसिया रोड मिनिस्पील कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश
9. हफीज भाई माता कनीजाबाई जाति मुसलमान निवासी नगर पालिका आफिस के पास व मस्जिद के पास ब्यावरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश
10. आरिफ भाई माता कनीजा बाई जाति मुसलमान निवासी नगर पालिका आफिस के पास व मस्जिद के पास ब्यावरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

P.T.O

Scanned by CamScanner

11. राजू भाई माता कनीजा बाई जाति मुसलमान निवासी नगर पालिका आफिस के पास व मस्जिद के पास ब्यावरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश
12. रईस भाई माता कनीजा बाई जाति मुसलमान निवासी नगर पालिका आफिस के पास व मस्जिद के पास ब्यावरा जिला राजगढ मध्य प्रदेश
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 88,89,91 राज.आर.टी.एक्ट व 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री केसरी सिंह पुष्पद वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री .... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :— वाद वादी फर्द डिग्री किया जाता है कि तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 462 पुरानी 406 की 4 किता की 5.10 बीघा आराजी में से प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्सेपर वादीगण को टिनेन्ट घोषित किया जाता है एवं रेकार्ड में प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 का नाम हटाया जावे तथा उक्त आराजी पर वादीगण का नाम रेवन्यू रेकार्ड में दर्ज किया जावें। फर्द डिग्री जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

आज दिनांक 24-12-19 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner